श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा

जिला–रीवा (म0प्र0)

R. 5080-पी/15

श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री एड. द्वारा पेश 28-9-15

विलोपित / विलोपित

तजब्बुल तनय सद्दीक मुसलमान निवासी ग्राम उमरहर, थाना–जियावन तहसील देवसर जिला–सिंगरौली (म0प्र0).......आवेदक

बनाम

म0प्र0 शासन...अनावेदक

430 / 28.9.15

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील देवसर जिला–सिंगरौली (म0प्र0) प्र.क्र. 77/अ–74/2004–05 आदेश दिनांक 05.10.2010

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :–

1. यह कि आवेदक ने वर्ष 1970–71 में ग्राम उमरहर तहसील देवसर की आ0नं0 पुराना ख0क्र0 185 रकवा 2.50 एकड़ के बावत् कब्जा होने के आधार पर भूमिहीन होने के कारण पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया था, जिसे तहसीलदार साहब के द्वारा रा.प्र.क्र. 29/अ–19(4)1971–72 पर दर्ज कर दिनांक 18.01.1972 को आवेदक के नाम पट्टा की स्वीकृति दी गई तथा राजस्व अभिलेखों में पट्टे की इत्तलयावी करा दी गई।

2. यह कि वर्ष 1979–80 में आ0नं0 पुराना 185 रकवा 2.50 एकड़ पुनः म0प्र0 शासन भूल से राजस्व अभिलेखों में म0प्र0 शासन दर्ज किया जाने लगा जिसकी जानकारी आवेदक को नही हुई. बन्दोबस्त के अभिलेखों में

(52)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R5080-II/15 जिला–सिंगरौली

तजुब्बुल मुसलमान/ शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील देवसर के प्रकरण क्रमांक 77/अ–74/2004–05 ए में पारित आदेश दिनांक 05.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	